GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 109
TO BE ANSWERED ON 16/12/2022

NEED OF MORE IPM CENTRES IN THE COUNTRY

*109. SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) the number of Integrated Pest Management (IPM) centres in the country, State-wise;

(b) the details of various schemes and programmes that are disseminating the IPM approach at National and State-levels;

(c) whether Government acknowledges the fact that the country is in dire need of more IPM centres and whether any steps have been taken in this regard;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(e) whether Government is planning to incorporate alternative methods of pest management like Pheromone Trap, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(SHRI NARENDRA SINGH TOMAR)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT IN RESPECT OF PART (a) TO (e) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 109 FOR 16.12.2022 REGARDING NEED OF MORE IPM CENTRES IN THE COUNTRY.

(a): There are 36 Central Integrated Pest Management Centers (CIPMCs) in different States and UTs in India. The state wise details of CIPMCs are enclosed in Annexure I.

(b): (i) Central Integrated Pest Management Centers (CIPMCs) in collaboration with the State Agriculture Departments conduct various training programmes such as Farmers' Field Schools (FFS), two/five days Human Resource Development (HRD) programmes, Kisan Goshthis, Integrated Pest Management (IPM) Exhibitions and Seed Treatment Campaigns to sensitize farmers about safe and judicious use of pesticides. During 2021-22, the 36 CIPMCs conducted 282 FFSs and 80 HRD programmes in which 14238 farmers, pesticide dealers NGOs and State Government functionaries received training.

(ii) Government of India is also implementing various schemes such as Krishi Vigyan Kendras (KVKs), Agricultural Technology Management Agency (ATMA) and National Food Security Mission (NFSM) under which IPM approach is disseminated to farmers in the State. Under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) funds are released to the State Governments for implementing various approved projects including relating to IPM. The KVKs conducted 3919 demonstrations on IPM at farmers' fields and trained 160396 farmers on various aspects of plant protection including IPM approach.

(iii) ICAR-National Centre for Integrated Pest Management (NCIPM) is engaged in development and validation of Integrated Pest Management (IPM) modules for different crops in region specific manner for minimizing pesticide use by the farmers. ICAR-NCIPM has conducted 43 programmes including FFS, field days, HRD trainings, awareness programmes, exposure visits etc. during 2022.

(c) & (d): CIPMCs in collaboration with State agriculture institutions disseminate the IPM approach. At present there is atleast one CIPMC in most of the States. In some states like Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jammu & Kashmir there is more than one CIPMC. The request by States for setting up of CIPMCs is considered as required.

(e): The CIPMCs disseminate knowledge about various integrated practices for pest management which includes use of pheromone traps.

Annexure-I

Annexure referred in reply to part (a) of Rajya Sabha Starred Question No. 109 for reply on 16.12.2022.

State-wise Central Integrated Pest Management Centres (CIPMCs)

Sr. No.	Name of State/UT	No. of CIPMCs	Located at
1.	Haryana	01	Faridabad
2.	Himachal Pradesh	01	Solan
3.	Jammu & Kashmir	02	Jammu and Srinagar
4.	Punjab	01	Jalandhar
5.	Rajasthan	02	Jaipur and Sriganganagar
6.	Uttar Pradesh	03	Lucknow, Agra and Gorakhpur
7.	Uttarakhand	01	Dehradun
8.	West Bengal	01	Kolkata
9.	Odisha	01	Bhubaneswar
10.	Bihar	01	Patna
11.	Jharkhand	01	Ranchi
12.	Andaman & Nicobar	01	Port Blair
13.	Assam	01	Guwahati
14.	Arunachal Pradesh	01	Itanagar
15.	Meghalaya	01	Shillong
16.	Manipur	01	Imphal
17.	Mizoram	01	Aizawl
18.	Nagaland	01	Dimapur
19.	Tripura	01	Agartala
20.	Sikkim	01	Gangtok
21.	Karnataka	01	Bengaluru
22.	Telangana	01	Hyderabad
23.	Andhra Pradesh	01	Vijayawada
24.	Kerala	01	Ernakulum
25.	Tamil Nadu	01	Trichy
26.	Maharashtra	02	Nagpur and Nasik
27.	Madhya Pradesh	02	Indore and Morena
28.	Gujarat	01	Vadodara
29.	Goa	01	Madgaon
30.	Chhattisgarh	01	Raipur
	Total	36	

*****

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 109

दिनांक 16 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: देश में और अधिक आईपीएम केंद्रों की आवश्यकता

***109. श्री मोहम्मद नदीमुल हक:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) केंद्रों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं;

(ख) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आईपीएम पद्धति का प्रचार-प्रसार करने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य को स्वीकार करती है कि देश को और अधिक आईपीएम केंद्रों की अत्यंत आवश्यकता है और क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार फेरोमोन ट्रैप जैसे नाशीजीव प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों को शामिल करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“देश में और अधिक आईपीएम केंद्रों की आवश्यकता” के संबंध में दिनांक 16.12.2022 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 109 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 36 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएमसी) हैं। सीआईपीएमसी का राज्य-वार **ब्यौरा अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) (i) केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएमसी) राज्य कृषि विभागों के सहयोग से कीटनाशकों के सुरक्षित और उचित उपयोग के बारे में किसानों को सुग्राही बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे किसान फील्ड स्कूल (एफएफएस), दो/पांच दिवसीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्यक्रम, किसान गोष्ठी, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रदर्शनियां और बीज उपचार अभियान आयोजित करते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, 36 सीआईपीएमसी ने 282 एफएफएस और 80 एचआरडी कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 14238 किसान, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), कीटनाशक डीलर और राज्य सरकार के पदाधिकारीयों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(ii) भारत सरकार की विभिन्न योजनाए जैसे कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत राज्य में किसानों में आईपीएम पद्धति का प्रसार किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत आईपीएम संबंधित विभिन्न अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। केवीके द्वारा किसानों के खेतों में आईपीएम पर 3919 प्रदर्शनी आयोजित की गयी और 160396 किसानों को आईपीएम पद्धति सहित पौध संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया है।

(iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र (एनसीआईपीएम), किसानों को कीटनाशकों के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट तरीके से विभिन्न फसलों के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) मॉड्यूल के विकास और वैधीकरण करता है। आईसीएआर-एनसीआईपीएम ने 2022 के दौरान एफएफएस, फील्ड डे, मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, एक्सपोजर दौरों आदि सहित 43 कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(ग) और (घ) सीआईपीएमसी राज्य कृषि विस्तार तंत्र के साथ मिलकर आईपीएम पद्धति के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। वर्तमान में सभी राज्यों में कम से कम एक सीआईपीएमसी है। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर में एक से अधिक सीआईपीएमसी है। सीआईपीएमसी की स्थापना के लिए राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध पर आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाता है।

(ङ) सीआईपीएमसी कीट प्रबंधन के लिए विभिन्न एकीकृत पद्धतियों के बारे में ज्ञान का प्रसार करते हैं, जिनमें फेरोमोन ट्रैप का उपयोग शामिल है।

रा.सभा.ता.प्र.सं.109

<u>अनुबंध-I</u>

राज्य-वार केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएमसी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सीआईपीएमसी की संख्या	स्थान
1.	हरियाणा	01	फरीदाबाद
2.	हिमाचल प्रदेश	01	सोलन
3.	जम्मू और कश्मीर	02	जम्मू और श्रीनगर
4.	पंजाब	01	जालंधर
5.	राजस्थान	02	जयपुर और श्रीगंगानगर
6.	उत्तर प्रदेश	03	लखनऊ, आगरा और गोरखपुर
7.	उत्तराखंड	01	देहरादून
8.	पश्चिम बंगाल	01	कोलकाता
9.	ओडिशा	01	भुवनेश्वर
10.	बिहार	01	पटना
11.	झारखंड	01	रांची
12.	अंडमान और निकोबार	01	पोर्ट ब्लेयर
13.	असम	01	गुवाहाटी
14.	अरुणाचल प्रदेश	01	ईटानगर
15.	मेघालय	01	शिलांग
16.	मणिपुर	01	इम्फाल
17.	मिजोरम	01	आइजोल
18.	नागालैंड	01	दीमापुर
19.	त्रिपुरा	01	अगरतला
20.	सिक्किम	01	गंगटोक
21.	कर्नाटक	01	बेंगलुरु
22.	तेलंगाना	01	हैदराबाद
23.	आंध्र प्रदेश	01	विजयवाड़ा
24.	केरल	01	एर्नाकुलम
25.	तमिलनाडु	01	त्रिची
26.	महाराष्ट्र	02	नागपुर और नासिक
27.	मध्य प्रदेश	02	इंदौर और मुरैना
28.	गुजरात	01	वडोदरा
29.	गोवा	01	मडगांव
30.	छत्तीसगढ़	01	रायपुर
	कुल	36	

****

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, the farmers' population in India is around 146 million as per the Agriculture Census. But, the number of Farmer Field Schools through which IPM activities are propagated are only 70 and only 20 Human Resource Development Programmes were conducted where 3,350 farmers were trained in IPM activities.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, I want to know from the Minister as to why training activities by IPM are disproportionate to the number of farmers.

श्री कैलाश चौधरी : उपसभापति महोदय, इंटिग्रेटेड पैस्ट मैनेजमेंट निश्चित रूप से देश के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर में हमारे 36 ऐसे केंद्र हैं, जहां पर किसानों को सर्वेक्षण देना, एडवाइज़री देना, किसी पैस्ट के बारे में जानकारी देना और उनको प्रशिक्षित करने के विषय को लेकर ये स्थापित किए गए हैं। वहां पर इसके बारे में किसानों को फॉर्मर स्कूल के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या हमारी जो दूसरी संस्थाएं या अन्य इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी उसके साथ जोड़ा जाता है और वे यह पता लगाते हैं कि किस जगह पर पैस्ट आया है। उसके बाद यदि कोई स्पेसिफिक स्थान है, जहां पर वह आया है, तो उसको टारगेट करके वहां पर जाते हैं। इसके अंदर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर राज्य को कहीं पर लगता है कि उसके यहां पैस्ट आया है, या कोई कीड़ा लग गया, तो वे तुरंत उसकी जानकारी दे सकते हैं और वहां जाकर हमारे सांइटिस्ट्स पैस्ट की जानकारी लेकर उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। इसमें यदि कोई स्टेट आरकेवीवाई योजना के अंदर है, एनएफएसएम की योजना या 'आत्मा' योजना के अंदर अपना प्रपोज़ल बनाकर भेजते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसमें राज्य अपनी स्कीम के तहत भी भेज सकते हैं और इसके अंदर इसका समाधान किया जा सकता है।

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: The Ministry's website quotes that "Relevance of IPM practices are more important in vegetable and fruit crops because of their unique mode of consumption. So, my question is, has any Farmer Field School been conducting training with an aim to reduce pesticide residue in fruits and vegetables so far?

श्री कैलाश चौधरी : उपसभापति महोदय, इसके अंदर सब्जी हो, क्रॉप, फल या कोई भी फसल हो, यदि किसी के अंदर भी इस चीज़ की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार सीआईपीएमसी को वहां से

प्रपोज़ल या जानकारी देती है, तो निश्चित रूप से गांव में जाकर किसानों को ट्रेनिंग देनी होती है, एडवाइज़री देकर उनको जानकारी दी जाती है, जिसकी वजह से काफी समाधान भी हुआ है, क्योंकि जब पैस्ट आता है, तो उसके लिए उसमें pheromone trap या बायो एजेंट है, ऐसा भी अगर कोई आ जाता है, तो उसके लिए उनको तुरंत बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि आप इस तरह से करें, जैसे अगर उसके अंदर कीड़ा आ जाता है, तो मादा या नर को किस तरह से मिलाकर, उसको कैसे खत्म करें, इस दिशा में भी लगातार प्रयास किए जाते हैं। उसकी वजह से देश में जब ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से किया जाता है और उसका परिणाम यह है कि किसान को तुरंत इसका समाधान भी मिलता है।

श्री विजय पाल सिंह तोमर : मान्यवर, वैसे तो अभी मंत्री जी ने बताया कि 36 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र हैं और उनका प्रचार-प्रसार भी हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी ग्लाइकोसाइड जैसी प्रतिबंधित कीटनाशक दवाएं बाजार में आती हैं। इससे आए दिन किसानों की मौत होती है। इस तरह की बातें हर प्रदेश से सामने आती हैं, जो कि कुछ प्रदेशों में ज्यादा हैं और कुछ में कम हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसको कम करने के लिए आप क्या विकल्प तैयार कर रहे हैं?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति जी, इसको लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम ड्रोन ट्रेक्नोलॉजी का उपयोग करें, जिसमें सेन्सर लगे होते हैं। उस सेन्सर के अंदर अगर कोई भी कीड़ा किसी पेड़, पौधे या फसल के अंदर है, तो वह स्पेसिफिक उसी के ऊपर अटैक करेगा और जहां पर कीड़ा नहीं है या बीमारी नहीं है, उस जगह पर ड्रोन का जो सेन्सर है, वह उस स्थान को छोड़ देगा, उससे पैस्टिसाइड्स की बचत होगी और मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि हम उसको लेकर प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनिक खेती की बात करें, तो देश के अंदर इसका रकबा भी निश्चित रूप से बढ़ रहा है और नैचुरल फार्मिंग का रकबा भी बढ़ रहा है। 'नमामि गंगे' के तहत गंगा के किनारे पर भी प्राकृतिक खेती की जा रही है। हम उस समस्या को कैसे हल करें - एक तो प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से अगर लगातार देखा जाए, तो मैं बताना चाहूंगा कि पैस्टिसाइड्स का उपयोग भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। देश में 2017 के अंदर 63,496 मीट्रिक टन पैस्टिसाइड का उपयोग हो रहा था, लेकिन अब वह घटकर 58,720 मीट्रिक टन रह गया है। धीरे-धीरे ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पैस्टिसाइड्स का उपयोग कम हो और जहां उपयोग नहीं है, वहां पर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो। इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है।

श्री उपसभापति : माननीय कृषि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने बड़ी अच्छी बात कही और नकली पैस्टिसाइड्स के बारे में सभी को चिंता होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि इस मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकार के संपर्क में रहती है और जब ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है, तब राज्य सरकारों के माध्यम से इस प्रकार के लोगों पर रेड करके उन पर कार्रवाई की जाती है। सरकार की यह भी कोशिश है कि किसान का नुकसान फसल के समय और फसल के उपरांत भी बचाया जा सके। इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए भारत सरकार डिजिटल एग्रीस्टैक बना रही है और हमने इसरो के साथ भी अभी कुछ दिन पहले एमओयू किया है। इसके साथ निश्चित रूप से ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इसीलिए भारत सरकार ने जल्दी अप्रूव किया कि कुल मिलाकर मानव शरीर पर पैस्टिसाइड्स के जो दुष्प्रभाव होते हैं, उनसे किसान बचें और ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पैस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को खेत में छिड़कें, जिससे कि उनकी बचत भी होगी और मानव शरीर पर जो दुष्प्रभाव होते हैं, उससे भी बचा जा सकेगा।

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, I thank you for allowing me to ask a supplementary question on Q. No. 109. What are the steps taken by the Union Government to promote the usage of natural insecticides and what are the steps taken to reduce the usage of chemical pesticides?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति जी, जैसा मैंने पहले बताया और अभी माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसान के पास नई टेक्नोलॉजी पहुंचे। अगर किसान के पास नई टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, तो उससे किसान को लाभ होगा। किसान के लिए सेन्सर सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के माध्यम से रकबा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, नैचुरल फार्मिंग के ऊपर भी काम किया जा रहा है। देश भर में जैसा हम जानते हैं कि जहां पर किसान कैमिकल का अधिक उपयोग करता है, वहां उसका असर मानव जीवन के ऊपर भी पड़ता है। हम आने वाले वक्त में नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए देश भर में प्रयास कर रहे हैं। हमारे जितने साइंटिस्ट्स हैं, लगभग 457 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, जिनको हमने प्रशिक्षित किया है कि वे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत के माध्यम से या ऑर्गेनिक खेती करें तथा किसानों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसान भी यदि नैचुरल फार्मिंग के माध्यम से, प्राकृतिक खेती के माध्यम से ऑर्गेनिक उत्पादन करेंगे, तो मानव जीवन के ऊपर भी कम प्रभाव पड़ेगा।

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : उपसभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों का सम्मान बढ़ाया है तथा ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें किसानों की आय कैसे बढ़े, उसके लिए कदम उठाये गए हैं।

श्री उपसभापति : माननीय दिनेशचंद्र जी, आप केवल सवाल पूछिए।

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, किसानों को डायरेक्ट सपोर्ट मिले और उनको ट्रेनिंग भी मिले, इसके लिए 50 हजार रुपये किसान को पर हेक्टर देना एक योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जिसमें लगभग 31 हजार रुपये उसको पूरे मिलते हैं तथा जो 18 हजार रुपये हैं, वे उसको दूसरे कम्पोनेंट के अंदर दिये जाते हैं, ताकि किसान उसकी ओर आकर्षित हो। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार यह प्रयास किया जा रहा है तथा हमारी एक पीकेवाई योजना है, परम्परागत कृषि विकास योजना है, जिसके माध्यम से यदि कोई भी उसको करना चाहता है या राज्य सरकार भी उस प्रोजेक्ट को करना चाहती है, तो राज्य सरकार भी पीकेवाई योजना के अंदर कार्यक्रम को लेकर अपने प्रदेश के अंदर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत कर सकती है और काम भी कर सकती है।

श्री उपसभापतिः प्रश्न संख्या 110.